

प्रपत्र-‘अ’

विषय :-नेशनल हाईवे की सड़को का निर्माण ।
(अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3095 प्रो. संजीव छोटेलाल उईके)
(प्रश्नांश “क” की जानकारी)

क्रमांक	मार्ग का नाम	लंबाई (किमी में)	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1.	जबलपुर-मण्डला-चिल्पी मार्ग छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक (सार. क्र. 12 "ए") मार्ग का उन्नयन एवं सुदृढीकरण का कार्य (ई.पी.सी. योजना के अंतर्गत 2 लेन में निर्माण) पैकेज- 3,	92.35	निवास, मण्डला, बिछिया, बैहर	मण्डला, बिछिया, बैहर, मवाई	-
2.	मण्डला-पिण्डरई मार्ग (एम.डी.आर.) का उन्नयन कार्य	33.15	मण्डला	मण्डला, नैनपुर	-

(प्रश्नांश "घ" की जानकारी)

क्र.	मार्ग का नाम एवं लंबाई	जिला प्रशासन / वन विभाग / पर्यावरण विभाग / स्थानीय नगरीय एवं ग्रामीण संस्थाओं द्वारा शासकीय निजी भूमि पर जिले में खनिज उत्खनन, पेड काटने की अनुमति तथा हाट भिक्षांग प्लांट स्थापित करने की अनुमति	जिस कार्य की अनुमति				दिनांक	रिमांक
			विभाग का नाम	4	5	अनुमति पत्र क्र		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	जबलपुर-मण्डला-चिल्डी मार्ग छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक (रा.रा. क्र. 12 एवं सुडुडीकरण का कार्य (ई.पी.सी. योजना के अंतर्गत 2 लेन में निर्माण) पैकेज- 3 , लंबाई 92.35 कि.मी.	वन विभाग वन विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार कलेक्टर मण्डला	वन क्षेत्र में उन्नयन कार्य करने हेतु अनुमति। कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर जोन) में कार्य करने की अनुमति। सिद्धौरा-मांगली में मार्ग उन्नयन की अनुमति। अजनीया-बिछिया में मार्ग उन्नयन की अनुमति। मार्ग उन्नयन की अनुमति। राजस्व वृक्ष काटने की अनुमति।	वनमण्डलाधिकारी, पूर्व सामान्य वन मण्डल मंडला का पत्र क्रं. मा.चि. / 1622 मण्डला दिनांक 13.05.2016 मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्रं./ व.प्रा./ मा.चि./ एन.एच.12ए/ 8776 भोपाल दिनांक 23.12.2015 डी.टी कनसर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (सी.) का पत्र क्रं. 06 - एमपीसी023 / 2016 - बीएचओ / 1205 दिनांक 30.12.2016 डी.टी कनसर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (सी.) का पत्र क्रं. 06-एमपीसी016 / 2016- बीएचओ / 1014 दिनांक 20.10.2016 डी.टी कनसर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (सी.) का पत्र क्रं. 06-एमपीसी 20 / 2016- बीएचओ / 1187 दिनांक 22.12.2016 कलेक्टर मण्डला का आदेश क्रं. 01 (अ-62) 15-16 दिनांक 05.03.2016 एवं आदेश क्रं. 02 (अ-62) 15-16 दिनांक 09.03.2016 डी.टी कनसर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (सी.) का पत्र क्रं. 06-एमपीसी 018 / 2016- बीएचओ / 1190 दिनांक 23.12.2016 खनिज - 1 / 2017 / 528 मण्डला	6	7		
		पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मण्डला ग्राम पंचायत, बिनैका म.प्र.प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, जबलपुर	मार्ग उन्नयन की अनुमति। अस्थायी पत्थर उत्खनन की स्वीकृति अस्थायी पत्थर उत्खनन की स्वीकृति, गौण खनिज भण्डारण, स्टोन क्रेशर, आर.एन.सी. प्लांट, अस्थायी कर्मचारी आवास एवं मशीनरी संधारण	सर्वप्रथम श्रीमति किरण मसराम पी.सी.बी. आई.डी. 113112	30.03.2017 30.01.2016			
2.	मण्डला-पिण्डरई मार्ग (एम.डी.आर.) का उन्नयन कार्य, लंबाई 33.15 कि.मी.	वन विभाग	10 मीटर चौड़ाई में सड़क उन्नयन कार्य करने की शर्तों के अधिन अनुमति।	वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम (सा.) वन मण्डल मंडला का पत्र क्रं. मा.चि. / 12 / 2224 मण्डला दिनांक 01.10.2012	01.10.2012	वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं।		